न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज मनमोहन बनाम रामेश्वर दयाल मु. सं. 1/10

11–वूर्च–न्याय–कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्य का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य विषय उसी हक के अधीन मुकददमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई वादा करते है,किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद के वाद ने उठाया गया है विचारण करने के लिये सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पक्षकरों के मध्य पूर्व में ही वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद अंतिम रूप से निर्णित हो चुका है तथा अब वाद सुनने योग्य नहीं पाया जाता है । ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं पाया जाता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद बाबत आराजी खसरा नम्बर 1630 व 1629/1758 स्थित ग्राम मण्डावर तहसील महवा जा. दी. की धारा 11 पूर्व न्याय सिद्धान्त से बाधित होने के कारण चलने योग्य नहीं है और खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो व बाद तकमील दाखिल दफतर हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)